

२७-१०-२३ पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी पुनावा आर्य मे वरदा है। अतः पत्रावली आर्यदा कार्यवाही के लिए दिनांक ३१-१०-२३ को पेश हो।

शेखर  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

३१-१०-२३ पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी पुनावा आर्य मे वरदा है। अतः पत्रावली आर्यदा कार्यवाही के लिए दिनांक १५-३-२५ को पेश हो।

शेखर  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

१५-३-२५ पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी पुनावा आर्य मे वरदा है। अतः पत्रावली आर्यदा कार्यवाही के लिए दिनांक ०२-५-२५ को पेश हो।

शेखर  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

०२-५-२५ पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी पुनावा आर्य मे वरदा है। अतः पत्रावली आर्यदा कार्यवाही के लिए दिनांक २५-५-२५ को पेश हो।

जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

२५-५-२५ पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आर्यदा कार्यवाही के लिये दिनांक ०२-६-२५ को पेश हो।

शेखर  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

०२-६-२५ पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी पुनावा आर्य मे वरदा है। अतः पत्रावली आर्यदा कार्यवाही के लिए दिनांक ०२-६-२५ को पेश हो।

हो इसका प्रकरण को कायम है।  
इसके अंतर्गत पर बन्द की जाती  
है। यथावती सुधार प्रसक्त  
होकर कुल अपील के साथ  
सम्बन्ध रहे। आदेश आज  
दिनांक 02-07-24 को सुनी  
अदालत में सुनाया गया।



जिला कलेक्टर  
मीरठ